Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(CGPSC)

लोक प्रशासन

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM07

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

लोक प्रशासन

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. लोक प्रशासन **7–26**

1.1 प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ एवं महत्त्व 7

1.2 लोक प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्त्व 8

1.3 निजी प्रशासन 12

1.4 लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति 13

1.5 लोक प्रशासन का विकास 15

1.6 विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका 17

1.7 उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन 19

1.8 नवीन लोक प्रशासन 20

1.9 लोक प्रशासन के नए आयाम 22

1.10 राज्य बनाम बाज़ार 23

2. प्रशासनिक अवधारणाएँ **27-36**

2.1 शक्ति की अवधारणा 27

2.2 वैधता की अवधारणा 29

2.3 सत्ता या प्राधिकार की अवधारणा 30

2.4 उत्तरदायित्व की अवधारणा 33

3. संगठन एवं उनके सिद्धांत **37-57**

3.1 संगठन: अर्थ एवं विशेषताएँ 37

3.2 संगठन के प्रकार 38

3.3 संगठन के आधार 40

3.4 संगठन की संरचना 40

3.5 संगठन के उपागम 43

3.6 संगठन के सिद्धांत 46

4. प्रबंध **58-75**

4.1 प्रबंध : अर्थ, प्रकृति एवं महत्त्व 58

4.2 नेतृत्व 59

4.3 नीति निर्धारण/नीति निर्माण 61

4.4 निर्णय निर्माण 64

4.5 निगमित शासन 66

4.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 69

5. प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण **76-106**

5.1 समन्वय 76

5.2 प्रत्यायोजन 77

5.3 संचार/संप्रेषण 81

5.4 पर्यवेक्षण 94

5.5 अभिप्रेरणा 96

6. भारत में प्रशासन पर नियंत्रण **107-117**

6.1 विधायी/संसदीय नियंत्रण 107

6.2 वित्तीय नियंत्रण 109

6.3 न्यायिक नियंत्रण 111

6.4 कार्यपालिका का नियंत्रण 115

7. विकास प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन **118-126**

7.1 विकास प्रशासन 118

7.2 तुलनात्मक लोक प्रशासन 122

8. सुशासन **127-174**

8.1 सुशासन 127

8.2 ई-गवर्नेंस 128

8.3 नागरिक घोषणा-पत्र 140

8.4 सूचना का अधिकार 147

8.5 विधि का शासन 166

8.6 लोकपाल एवं लोकायुक्त 169

9. नौकरशाही एवं प्रशासनिक सुधार **175-187**

9.1 नौकरशाही 175

9.2 प्रतिबद्ध नौकरशाही 179

9.3 सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ संबंध 180

9.4 प्रशासनिक सुधार 183

10. शासन प्रणाली **188-202**

10.1 लोकतंत्र : अर्थ, विशेषताएँ एवं प्रकार 188

10.2 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 193

10.3 संसदीय शासन प्रणाली 194

10.4 अध्यक्षीय शासन प्रणाली 195

10.5 एकात्मक शासन प्रणाली 197

10.6 संघात्मक शासन प्रणाली 199

11. ज़िला प्रशासन **203-212**

11.1 ज़िला प्रशासन का विकास 203

11.2 ज़िला प्रशासन का संगठन 204

11.3 ज़िला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका 207

11.4 उपखंड एवं तहसील प्रशासन 209

12. पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ **213-255**

12.1 पंचायती राज 213

12.2 पंचायत (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में) 234

12.3 नगरपालिकाएँ 239

12.4 नगरपालिकाएँ (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में) 251

13. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढाँचा **256-266**

13.1 प्रशासनिक ढ़ाँचा 256

13.2 राज्य सचिवालय 262

13.3 मुख्य सचिव 264

अध्याय
1

लोक प्रशासन
(Public Administration)

सामान्यत: प्रशासन किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का प्रबंध करने हेतु महत्त्वपूर्ण होता है। यह विशेष रूप से सरकारी क्रियाकलापों में उपयोगी तंत्र एवं प्रक्रियाओं से सह-संबंध रखता है। प्रशासन के तहत कार्य पूरा करने के लिये योजना बनाना, निर्णय लेना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण करना, संगठनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये विधायिका तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना इत्यादि शामिल हैं।

1.1 प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ एवं महत्त्व
(Administration: Meaning, Features and Importance)

उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण ने प्रशासन की संरचना एवं महत्त्व को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उत्तम अभिशासन जैसी मान्यताओं ने प्रशासन की परंपरागत अवधारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक न्याय पर आधारित इसके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये प्रेरित किया है।

अर्थ *(Meaning)*

किसी संगठन या सरकार में उचित ढंग से या उत्कृष्ट रीति से कार्य करने की प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। प्रशासन में निर्देश देना, मार्ग-प्रशस्त करना, आदेश देना इत्यादि क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। प्रशासन का अर्थ अधिक व्यापक है, जैसे- वित्त प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन इत्यादि। "चूँकि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहयोग एवं सकारात्मक उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है; अत: इसके लिये विभिन्न संगठन, अनेक व्यक्तियों का सहयोग तथा सामाजिक हित का उद्देश्य आवश्यक होना चाहिये।" इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रशासन के अर्थ निम्नलिखित हैं-

- **मार्क्स के अनुसार**, "प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है, जिसको हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं।"
- **साइमन के अनुसार**, "अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है, जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।"
- **फिफनर के अनुसार**, "मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है।"
- **निग्रो के अनुसार**, "प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य तथा सामग्री, दोनों का संगठन है।"
- **व्हाइट के अनुसार**, "प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है।"

विशेषताएँ *(Features)*

प्रशासन की उपर्युक्त परिभाषाओं एवं विभिन्न अर्थों में प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- प्रशासन की यह खास विशेषता है कि इसमें संगठित होकर कार्य किया जाता है।
- प्रशासन में विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है।
- प्रशासन में सहयोग की भावना से कार्य किया जाता है।
- प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास कुछ प्राधिकार (सत्ता) होते हैं।
- प्रशासन का रूप बड़े-बड़े औपचारिक संगठनों में देखने को मिलता है।

विश्व बैंक की इन व्याख्याओं के बावजूद वर्तमान में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। मिश्रा और पुरी ने राज्य बनाम बाज़ार की चार समस्याओं को रेखांकित किया है, जो निम्नलिखित हैं-

- विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ारों में व्यापक असमानताएँ विद्यमान हैं।
- यह आशा नहीं की जा सकती है कि बाज़ार द्वारा संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित कर पाएगा।
- बाज़ार से यह अपेक्षा नहीं होती है कि वह कुल मांग और कुल आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित कर सके।
- बाज़ार प्रतिस्पर्द्धी स्वरूप का होता है, जिसमें समानता का अभाव होता है।

उपर्युक्त समस्याओं से यह स्पष्ट होता है कि राज्य एवं बाज़ार में एक बेहतर संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से बाज़ार का क्षेत्र सीमित हो जाता है और नौकरशाही बाज़ार पर हावी हो जाती है, परंतु उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के क्षेत्र में हस्तक्षेप को एक सीमा तक रखना होगा। विश्व बैंक की 1991 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के पाँच कार्य बताए गए हैं-

- कानून की बुनियाद को बनाए रखना।
- दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना।
- सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में निवेश करना।
- कमज़ोर व पिछड़े वर्गों का संरक्षण करना।
- पर्यावरण का संरक्षण करना।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों से संबंधित होता है।
- लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है, जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।
- प्रशासन एक क्रिया भी है एवं प्रक्रिया भी।
- प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, दोनों समाविष्ट होते हैं।
- निग्रो का कथन है- प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य तथा सामग्री, दोनों का संगठन है।
- "लोक प्रशासन सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है।"- पं. जवाहरलाल नेहरू
- लोक प्रशासन की प्रकृति कला या विज्ञान अथवा दोनों हो सकती है।
- प्रशासन का अंग प्रबंध एवं संगठन होता है।
- लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ हैं- संगठनात्मक, व्यवहारवादी एवं व्यवस्थात्मक पद्धति।
- इरविंग होरोविज की कृति 'विकास की तीन दुनिया' है।
- लोक प्रशासन निजी उद्यमों हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन, सेवा कार्य तथा नियामक एवं निरोधक का कार्य करता है।
- विद्वान रिग्स का मुख्य ज़ोर विकासमान प्रशासनिक अवस्थाओं पर रहा है।
- विकासशील समाजों में कार्यरत नौकरशाही व्यवहार में स्वायत्त होती है।
- प्राचीन काल में मिस्र की नील नदी के रख-रखाव हेतु कर्मचारी तंत्र के रूप में प्रशासन का विकास हुआ।
- 1927 में प्रकाशित डब्ल्यू.एफ. विलोबी की पुस्तक 'प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' है।
- 'दि फंक्शंस ऑफ दि एक्जीक्यूटिव' पुस्तक के लेखक चेस्टर बर्नार्ड हैं।
- हर्बर्ट साइमन की पुस्तक 'एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर' का प्रकाशन 1947 ई. में हुआ।
- नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य मूल्य, प्रासंगिकता, परिवर्तन एवं सामाजिक समता होता है।
- वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन एक व्यावहारिक शास्त्र है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. लोक प्रशासन को समझाइये। **CGPCS (Mains) 2017**
2. लोक प्रशासन का प्रबंधात्मक दृष्टिकोण समझाइये। **CGPCS (Mains) 2016**

3. लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? **CGPCS (Mains) 2016**
4. निजी प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिये। **CGPCS (Mains) 2014**
5. लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिये। **CGPCS (Mains) 2013**
6. प्रशासन से आप क्या समझते हैं? **CGPCS (Mains) 2012**
7. 'उदारीकरण' के अर्थ की विवेचना कीजिये। **CGPCS (Mains) 2012**
8. लोक प्रशासन का महत्त्व बताइये।
9. नवीन लोक प्रशासन क्या है?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिये। **CGPCS (Mains) 2012**
2. लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अंतर को स्पष्ट कीजिये।
3. नव लोक प्रशासन की चार आधारभूत विशेषताओं का निरूपण कीजिये।
4. विकासशील समाज में लोक प्रशासन की दृष्टि से प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या होती हैं?
5. आधुनिक काल में लोक प्रशासन की विभिन्न पद्धतियों की चर्चा करें।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. राज्य बनाम बाज़ार को समझाइये। **(100 शब्द) CGPCS (Mains) 2017**
2. "नवीन लोक प्रशासन का कुछ सुस्पष्ट लक्ष्यों एवं विरोधी लक्ष्यों के साथ विकास हुआ।" व्याख्या कीजिये। **(500 शब्द) CGPCS (Mains) 2013**
3. लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति को बताते हुए लोक प्रशासन के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
4. लोक प्रशासन की दृष्टि से विकासशील समाजों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इनसे निपटने हेतु कुछ प्रमुख सुझाव दीजिये।
5. नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइये। क्या आप मानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा है? स्पष्ट कीजिये।

नोट: वर्ष 2018 से पूर्व परीक्षा प्रणाली में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 100/250/500 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे जाते थे, जबकि नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 100/125/175 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

अध्याय
2

प्रशासनिक अवधारणाएँ (Administrative Concepts)

आधुनिक राज्य के स्वरूप एवं दायित्वों में आए परिवर्तनों ने प्रशासनिक अवधारणाओं को अनिवार्य सिद्ध कर दिया है। वर्तमान समय में व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों और प्रशासनिक पद्धतियों में आए बदलावों के मध्य प्रशासनिक अवधारणाओं का महत्त्व भी अत्यधिक बढ़ गया है। सामयिक परिस्थितियों में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के बिना प्रगति संभव नहीं है इसलिये प्रशासनिक व्यवस्था में शक्ति, सत्ता, वैधता एवं उत्तरदायित्व जैसी प्रशासनिक अवधारणाओं का महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

2.1 शक्ति की अवधारणा *(Concept of Power)*

शक्ति शब्द जिसे अंग्रेजी में पावर (Power) कहते हैं, लैटिन भाषा के Potere शब्द से निकला है जिसका अर्थ है- योग्य के लिये। शक्ति उस विशेष स्थिति की द्योतक है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा एवं आदेशों का अनुपालन करवाने में सफल हो जाता है। शक्ति की अवधारणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो यह सकारात्मक रूप में उभरती है अन्यथा शक्ति दिशाहीन हो जाती है जो विनाशकारी भी हो सकती है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। यह एक नकारात्मक संकल्पना भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बल प्रयोग का तत्त्व संभावित रहता है। शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता पर निर्भर करता है।

आर्गेंसकी के अनुसार, "शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति एक सापेक्ष शब्द है, यथा- राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति आदि।"

वेबर के अनुसार, "शक्ति आरोपण की अभिव्यक्ति है, यह आरोपण बाध्यकारी रूप में होता है।"

बर्नार्ड शॉ के अनुसार, "शक्ति कभी भ्रष्ट नहीं करती बल्कि जब यह अज्ञानी में निहित होती है, तभी भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।"

शूमैन के अनुसार, "शक्ति लोगों को नियंत्रित एवं उन्हें प्रभावित करने की योग्यता है।"

गोल्डमेयर एवं **शिल्स** के अनुसार, "एक व्यक्ति के पास शक्ति उस सीमा तक होती है, जिस सीमा तक वह अपनी इच्छाओं के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है।"

शक्ति का रूप सदैव सामाजिक होता है। शक्ति सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है, परंतु बल गैर-सामाजिक तत्त्व कहलाता है। शक्ति बल का कानूनी रूप होता है। शक्ति कानूनी दायरे वाला बल है। नकारात्मक शक्ति से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो अन्यों से वह काम करवा लेता है जो अन्यथा वे लोग नहीं करते। सकारात्मक शक्ति सशक्तीकरण के रूप में उभरती है। शक्ति शासकों एवं शासितों के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करती है। शक्ति के द्वारा शासक आदेश देते हैं एवं शासित व्यक्ति उसका पालन करते हैं। शक्ति दूसरों को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवहार को नियमित भी करती है। शक्ति वह साधन है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

शक्ति की विशेषताएँ *(Features of power)*

शक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- शक्ति कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है।
- शक्ति योग्यता को प्रदर्शित करती है।
- इसमें बल प्रयोग से संबद्ध तत्त्व की मौजूदगी की संभावना रहती है।

अध्याय
3

संगठन एवं उनके सिद्धांत (Organisations and their Principles)

व्यक्तियों का एक ऐसा समूह संगठन कहलाता है जिसके अंतर्गत बिखरी हुई शक्तियों को इक्ट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। संगठन आज मनुष्य की हर गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके व्यवस्थित कार्यकरण के लिये कुछ निश्चित नियमों, प्रक्रियाओं एवं सर्वस्वीकृत आधारशिलाओं की आवश्यकता होती है जिसके अभाव में संगठन दिशाहीन एवं अवरुद्ध हो जाता है। संगठन की अवधारणा के विकास के साथ ही इसके अनेक सर्वमान्य सिद्धांतों को भी खोज निकाला गया तथा ये सिद्धांत आचरण के ऐसे कार्य नियम होते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण सर्वस्वीकृत होते हैं।

3.1 संगठनः अर्थ एवं विशेषताएँ *(Organisation: Meaning and Features)*

सामान्य बोलचाल की भाषा में संगठन का अर्थ होता है- कार्य को योजनाबद्ध रूप में संपन्न करना। **संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश** के अनुसार, संगठन शब्द से तात्पर्य है- किसी वस्तु का व्यवस्थित ढाँचा बनाना, किसी वस्तु का आकार निश्चित करना एवं उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। संगठन में तीन तत्त्व निहित होते हैं- इसमें कार्य निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाता है, इसमें सहयोग की भावना होती है तथा इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है। अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न अर्थों में संगठन को परिभाषित किया है जो निम्नलिखित हैं-

एल.डी. व्हाइट के अनुसार, "संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस अवस्था से है, जो निश्चित किये हुए विषयों की प्राप्ति के लिये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को विभाजित करके स्थापित की जाती है।"

ग्लैडन के अनुसार, "संगठन से तात्पर्य है- किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके।"

लूथर गुलिक के अनुसार, "संगठन सत्ता का औपचारिक ढाँचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है।"

उर्विक के अनुसार, "संगठन का अर्थ है उन क्रियाओं का निर्धारण करना जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक हों और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना जो कि विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सकें।"

जे.डी. मूने के अनुसार, "एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिये बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढाँचा संगठन है।"

फिफनर के अनुसार, "संगठन का अर्थ व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के बीच, वर्गों एवं वर्गों के बीच संबंधों से है, जो इस प्रकार आयोजित किये जाएँ कि व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके।"

एम. मार्क्स के अनुसार, "संगठन उस ढाँचे का नाम है, जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिये बनाया जाता है।"

संगठन की विशेषताएँ *(Features of organisation)*

किसी भी संगठन में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहियें-

- संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, यह समूह छोटा एवं बड़ा हो सकता है।
- यह समूह के उत्तरदायित्वों तथा कर्त्तव्यों के स्वरूप को स्थापित करता है।
- यह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन में संगठित होकर कार्य करता है।
- इसके अभाव में प्रबंध अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकता है क्योंकि यह संगठन प्रबंध का एक यंत्र होता है।
- यह एक क्रियात्मक अवधारणा है जहाँ अनेक लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।
- इसमें अधिकार एवं दायित्वों के विभाजन तथा श्रम-विभाजन आदि का नियोजन किया जाता है।
- व्यक्तियों के मध्य औपचारिक संबंधों का निर्माण संगठन के माध्यम से होता है।
- संगठन औपचारिक संबंधों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है।

अध्याय
4

प्रबंध
(Management)

प्रबंध वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रशासन के समस्त क्रियाओं का समायोजन, नियोजन एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी संगठन की सफलता और असफलता प्रबंध पर निर्भर करती है। एक प्रबंधक संगठन में नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका निभाता है। वह संगठन में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, समन्वय इत्यादि क्रियाएँ करता है।

4.1 प्रबंध : अर्थ, प्रकृति एवं महत्त्व
(Management : Meaning, Nature and Importance)

प्रबंध की अवधारणा बहुत पुरानी है, क्योंकि प्राचीन काल में भी प्रबंध के संबंध में विद्वान एवं विचारक अपना मत व्यक्त करते रहे। उनके अनुसार प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत, मानव संगठन के कुशल संचालन एवं राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिये उचित होता है। अंततोगत्वा मानव सभ्यता में निरंतरता एवं परिवर्तन के साथ-साथ प्रबंध की अवधारणा बदलती रही। आधुनिक प्रबंध के रूप में विकसित अवधारणा आज के विकासशील युग में प्रचलित हो रही है।

अर्थ *(Meaning)*

प्रबंध का तात्पर्य मानव निपुणता एवं साधनों के उपयोग के लिये सामूहिक प्रयासों द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की कल्पना करने तथा उनको प्राप्त करने से संबंधित होता है।

इसके अलावा विभिन्न विद्वानों का मत निम्नवत् है-

- **हेनरी फेयोल** के अनुसार, "प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निदेशन देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है।"
- **जोजेफ एल. मेसी** के अनुसार, "प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सहकारी समूह कार्य को एक सामान्य उद्देश्य की ओर निदेशित करता है।"
- **मैक्फारलैंड** के अनुसार, "प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित एवं सहकारी प्रयासों से सोद्देश्य संगठनों का सृजन करते हैं।

प्रकृति *(Nature)*

सामान्यत: प्रबंध में सार्वभौमिकता का तत्त्व निहित होने के कारण इसकी प्रकृति अत्यंत ही व्यापक मानी जाती है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) प्रबंध एक पेशे के रूप में विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि में सहायक।
(ii) प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में।
(iii) प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो भौतिक साधन एवं कार्यविधि से संबद्ध न्याय-निर्णयन में सहायक है।
(iv) प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसमें सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं।
(v) प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है जिसमें आदेश देने का अधिकार और आदेशों के पालन कराने की शक्ति सम्मिलित होती है।

प्रबंध की प्रकृति निम्नलिखित है-

- **टेलर** के अनुसार, "प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं अर्थात् एक व्यक्ति की क्रियाओं से लेकर बड़े निगमों की क्रियाओं पर लागू होते हैं।"
- **थियो हैमेन** के शब्दों में, "प्रबंध पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साधन है, जिसमें प्रभावशाली प्रबंध सदैव उद्देश्यों द्वारा स्थापित प्रबंध होता है।"

अध्याय
5

प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण (Tools of Administrative Management)

उपकरण वह होते हैं जो किसी कार्य को संपन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं जिससे कठिन से कठिन कार्य सरल एवं बेहतर ढंग से हो पाता है। प्रशासनिक प्रबंध में भी अनेक उपकरण हैं जिसमें समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण और अभिप्रेरणा शामिल हैं। इन उपकरणों के माध्यम से प्रशासन के कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन किया जाता है।

5.1 समन्वय *(Co-ordination)*

समन्वय प्रशासनिक प्रबंध का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। हेनरी फियोल ने समन्वय को प्रबंधक का एक कार्य माना है। इनके अनुसार समन्वय से आशय किसी संगठन की क्रियाओं में सरलता आ सके और प्रशासन अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो सके।

अर्थ *(Meaning)*

समन्वय से तात्पर्य किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसकी विभिन्न क्रियाओं में उचित संबंध, समायोजन एवं तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। यह प्रबंध का वह कार्य है जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और उसके समूहों में इस प्रकार एकीकरण करना है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम सेवाएँ प्रदान किया जा सके। समन्वय संगठन का वह निर्धारक सिद्धांत है जिसमें अन्य समस्त सिद्धांतों का समावेश होता है। यह सभी प्रकार के प्रयासों का प्रारंभ एवं अंत है। यह नियोजन की अवस्था से प्रारंभ होकर संगठन के निर्देशन, नियंत्रण, बजटींग आदि तक चलता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा समन्वय की निम्नलिखित परिभाषाएँ बताई गई हैं-

व्हाइट के शब्दों में, "समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों को परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिये अपना अधिकतम योगदान कर सके।"

मूने व रैले के अनुसार, "किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं।"

चार्ल्सवर्थ के अनुसार, "समन्वय से तात्पर्य विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित रूप में एकीकरण जिससे संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।"

हेनरी फियोल के मतानुसार, "किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिये उसकी समस्त क्रियाओं में तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है।"

विशेषताएँ *(Features)*

समन्वय की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- समन्वय प्रबंधन का एक कार्य है।
- यह एक सामूहिक क्रिया है, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबंधक शामिल होते हैं।
- समन्वय एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया होती है क्योंकि किसी भी संगठन में समन्वय की आवश्यकता बनी रहती है।
- समन्वय से प्रशासन की क्रियाओं में एकरूपता आती है जिससे कार्य सरल हो जाते हैं।
- बेहतर समन्वय से प्रशासन में एक प्रभावी संचार की स्थापना संभव हो पाता है।
- समन्वय से प्रशासनिक क्रियाओं में दोहराव से बचा जाता है।

अध्याय
6

भारत में प्रशासन पर नियंत्रण (Control Over Administration in India)

आधुनिक युग में प्रशासन हमारे जीवन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। अत: आज हमारे जीवन का हर क्षेत्र धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक; कुछ भी प्रशासन से परे की बात नहीं रही है। साथ ही जब से राज्य ने लोक-कल्याणकारी राज्य का रूप धारण किया है तब से प्रशासन का क्षेत्र और भी विशाल हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की इन शक्तियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। **प्रो. व्हाइट** के शब्दों में- "लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक है, नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है।" स्पष्ट प्रयोजनों के लिये पर्याप्त अधिकार किस प्रकार निहित किये जाएँ तथा सत्ता को पंगु बनाए बिना किस प्रकार समुचित नियंत्रण स्थापित किया जाए, यह लोकप्रिय सरकार के समक्ष एक ऐतिहासिक उलझन का विषय है। अत: प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट है, जिसके लिये प्रशासन पर निम्नलिखित नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है-

1. विधायी/संसदीय नियंत्रण
2. वित्तीय नियंत्रण
3. न्यायिक नियंत्रण
4. कार्यपालिका का नियंत्रण

प्रशासन पर नियंत्रण के साथ-साथ विकासोन्मुख व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासक तथा विशेषज्ञ प्रशासक की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

6.1 विधायी/संसदीय नियंत्रण *(Legislative Control)*

संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सैद्धांतिक रूप से संघ प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रशासन संविधान के अधीन एवं संसद द्वारा निर्मित विधि (कानूनों) के अनुसार ही चलाया जाता है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही संसद प्रशासन के उद्देश्यों को इंगित करती है। संसदीय नियंत्रण के अभाव में प्रशासकीय क्रियाओं में उचित समन्वय कर पाना संभव नहीं है। नौकरशाही के दोषपूर्ण हो जाने पर सामान्य जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की असफलता, अकार्यकुशलता, कमियों तथा अनियमितता का आरोप अंततोगत्वा मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के ऊपर ही आता है। अत: प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण आवश्यक है। संसद द्वारा यह नियंत्रण मंत्रिपरिषद के माध्यम से रखा जाता है। संसद निम्नलिखित तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है-

1. **प्रश्न पूछकर (By asking questions):** संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्नों की अग्रिम सूचना संसदीय सचिव को दी जाती है। नियमानुसार अध्यक्ष प्रश्नों को उत्तर देने के लिये स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये प्रश्न सरकार के प्रशासकीय दायित्वों से संबंधित होते हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

प्रश्न के प्रकार	
तारांकित प्रश्न (Starred Questions)	**अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions)**
ये ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नोत्तर काल में मंत्री मौखिक रूप से देते हैं एवं इनके संबंध में मूल प्रश्नकर्त्ता व अन्य सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं।	इन प्रश्नों के उत्तर सदन में मौखिक रूप से नहीं दिये जाते हैं एवं इनके संबंध में पूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सदन की टेबल पर रखवा दिये जाते हैं।

इन प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन की अकार्यकुशलता एवं प्रशासकीय अक्षमता को सदन एवं जनसाधारण के सम्मुख लाने का प्रयास किया जाता है। विपक्ष के सदस्य मुख्य रूप से प्रश्न पूछने के अधिकार के माध्यम से प्रशासन की कमियों को उजागर करते हैं एवं प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त करते हैं।

2. **बजट पर वाद-विवाद करना (Debate on budget):** संसद में बजट पारित करने के लिये अलग से सत्र बुलाया जाता है। बजट प्रस्तुतीकरण के पश्चात् फाइनेंस बिल, बजट पर सामान्य वाद-विवाद तथा मंत्रालय विशेष की मांगों

अध्याय
7

विकास प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन (Development Administration and Comparative Public Administration)

विकास प्रशासन की अवधारणा आधुनिक लोक प्रशासन की परिचायक है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नवस्वतंत्र राज्यों (खासकर एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका) के उदय होने से इसके क्षेत्र एवं दायित्व का विस्तार हुआ। इसके दायित्व के अंतर्गत राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जन सहायता के कार्यों को प्रमुखता दी गई है, जिससे प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य की दूरी कम होने लगी है। साथ ही नवस्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक ढाँचा में सुधारों के लिये विकसित देशों के प्रशासन से तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा और इसका सर्वाधिक श्रेय रिग्स को जाता है।

7.1 विकास प्रशासन *(Development Administration)*

'विकास प्रशासन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यू.एल. गोस्वामी ने किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख 'दि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया' में किया था। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय अमेरिकी विद्वानों को जाता है। विकासशील राष्ट्रों में प्रशासनिक प्रवृत्तियों के परीक्षण के लिये 'अमेरिकन सोसायटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' के अंतर्गत एक तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन किया गया। इस समूह ने तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों को विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये अपना अध्ययन बिंदु बनाया, साथ ही इन राष्ट्रों की प्रशासनिक समस्याओं (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में) के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। समूह का अध्यक्ष फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स को बनाया गया जिन्होंने अपने अथक प्रयास से विकास प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित किया। विकास प्रशासन के प्रतिपादकों में जॉर्ज ग्रांट (अग्रणी), वाईडनर, हैडी, रिग्स, पाइ पानिंदीकर तथा मॉण्टगोमेरी आदि हैं।

विकास प्रशासन का अर्थ *(Meaning of development administration)*

विकास या विकासात्मक प्रशासन का अर्थ है- विकास से संबंधित प्रशासन। यह एक विशेष प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक उन्नयन की भावना, एक विशेष कार्यक्रम तथा एक विशेष विचारधारा है। यह प्रशासन के स्थूल रूप से उतना संबंधित नहीं है जितना कि उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि से। अनेक विद्वानों ने विकास प्रशासन को अपने-अपने तरीकों से परिभाषित किया है, जो निम्नलिखित हैं-

मॉण्टगोमेरी के अनुसार : "विकास सामान्यतः परिवर्तन के ऐसे सामान्य भाग को समझा गया है जो स्थूल रूप से पूर्व-निर्धारित या योजनाबद्ध एवं प्रशासित किया गया हो या कम-से-कम सरकारी क्रिया द्वारा प्रभावित हो।" इसी से उन्होंने विकास प्रशासन को बहुत सीमित क्षेत्र में रखते हुए कहा है कि "विकास प्रशासन अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध परिवर्तन लाता है (कृषि या उद्योग में या इन दोनों में से किसी के सहयोग के लिये पूंजीगत आधार संरचना में) और कुछ कम सीमा तक राज्यों की सामाजिक सेवाओं में (विशेषकर शिक्षा व जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में)। यह सामान्यतः राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयत्नों से संबद्ध नहीं है।"

प्रो. वाईडनर के अनुसार : "विकास प्रशासन प्रगतिशील, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के चुनने तथा पूरा करने का साधन है जिसमें ये उद्देश्य आधिकारिक रूप से एक या दूसरे प्रकार से निश्चित किये जाते हैं।"

फ्रेड रिग्स के अनुसार : "विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है, जो विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किये जाते हैं।"

अध्याय
8

सुशासन (Good Governance)

किसी भी देश को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करने और जनता तक नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा सूचनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सुशासन एक अनिवार्य आयाम है। सुशासन में ई-गवर्नेंस, नागरिक घोषणा-पत्र, सूचना का अधिकार, विधि का शासन और लोकपाल एवं लोकायुक्त इत्यादि अवधारणाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सभी तत्त्वों के प्रभावी समन्वय एवं क्रियान्वयन से शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ती है साथ ही जनता का प्रभावी नियंत्रण भी देखने को मिलता है।

8.1 सुशासन *(Good Governance)*

शासन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न स्तर (अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय), उनके अधिकार, दायित्व, कार्यक्षेत्र की स्पष्ट रूपरेखा आदि शामिल होती है। शासन के अंगों व अन्य विविध सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों व संस्थाओं से संबंध, राज्य-नागरिक संबंध, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, शासन की प्रकृति (कल्याणकारी व अन्य) आदि कारक शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1997 में शासन (Governance) को परिभाषित करते हुए कहा था, "यह प्रत्येक स्तर पर एक देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिये आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग है। इसमें ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएँ व संस्थाएँ शामिल होती हैं जिनके ज़रिये नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों को सुलझाते हैं।" वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने शासन को परिभाषित करते हुए कहा था, "शासन एक पद्धति है जिसके द्वारा विकास के लिये एक देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है।" विश्व बैंक ने विकासशील देशों के संदर्भ में शासन (Governance) को प्राथमिक ढंग से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व न्यायिक सुधार के संदर्भ में विश्लेषित किया है।

वर्ष 1990 के पश्चात् शासन (Governance) को समावेशी स्वरूप प्रदान करते हुए सुशासन की धारणा विकसित हुई। सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वह खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली तो सभी देशों में चल ही रही है लेकिन वे अपनी प्रकृति में ठीक तरह से जनोन्मुखी या लोकतांत्रिक जीवन शैली से तादात्म्यपरक नहीं होती। सुशासन इसी बिंदु पर शासन से अलग होता है। सुशासन शासन से आगे की चीज़ है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है जिससे उसकी वैधानिकता और साख में बढ़ोतरी होती है। इसके आधारभूत तत्त्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जाता है।

सुशासन शब्द का चलन 1990 के दशक में देखा गया। इस दौरान ही इस शब्द का तेज़ी से चलन बढ़ा। विकास की दिशा में प्रयत्न कर रही विश्व की कई संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र ने इस शब्द का प्रयोग किया। फिर बाद में अन्य देशों की सरकारों ने शासन की गुणवत्ता को सुधारने के लिये इसे अपनाया। भारतीय संदर्भ में देखें तो कौटिल्य रचित 'अर्थशास्त्र' में कहा गया है कि प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अच्छे शासन के रूप में 'सुराज' की संकल्पना की थी। इसके अलावा भारतीय परंपरा में 'रामराज' की कल्पना भी सुशासन को ही इंगित या व्यक्त करती है। सुशासन को कुशासन (Bad Governance) के विपरीत संदर्भ में भी देखा जाता है। कुशासन को ऐसे समझा जा सकता है जहाँ-

1. प्रशासनिक मशीनरी काम तो करती है और उसके परिणाम भी मिलते हैं लेकिन इनमें लागत अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है।
2. जिन परिणामों की आवश्यकता होती है, वे मिलते तो हैं लेकिन साथ में ऐसे परिणाम भी मिलने लगते हैं जो वास्तव में अवांछनीय होते हैं।

अध्याय
9

नौकरशाही एवं प्रशासनिक सुधार
(Bureaucracy and Administrative Reform)

नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको- लक्ष्योंमुख, परिणामोंमुख तथा लोकोंमुख बनाने एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार से मुक्त करने हेतु प्रशासनिक सुधारों की नितांत आवश्यकता होती है। इन प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित बदलाव किये जाते हैं जिससे प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहूलियत हो।

9.1 नौकरशाही *(Bureaucracy)*

'नौकरशाही' का अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द 'ब्यूरोक्रेसी' (Bureaucracy) फ्राँसीसी भाषा के 'ब्यूरो' शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता हैं- 'मेज़ प्रशासन' या कार्यालयों द्वारा प्रबंध। यह प्राय: सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्राँस में इस शब्द का प्रयोग 'ड्राअर वाली मेज़' अथवा 'लिखने की डेस्क' हेतु होता था। इस डेस्क पर ढके कपड़े को 'ब्यूरल' कहा जाता था तथा इसी के आधार पर निर्मित 'ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक था। आगे चलकर इसका प्रयोग संभवत: फ्रेंच सरकार के लिये एक विशेष प्रकार की सरकार चलाने हेतु किया गया। 19वीं शताब्दी में इसका ह्रासकारी प्रयोग संपूर्ण यूरोप में किया जाने लगा। जहाँ-जहाँ सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ी वहीं, उसे 'नौकरशाही' कहा जाने लगा। धीरे-धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। वर्तमान में नौकरशाही का रूप इतना विकसित हो चुका है कि इसे अनेक नामों, जैसे- सिविल सेवा (Civil Service) मैजिस्ट्रेसी (Magistracy), स्थायी कार्यपालिका (Permanent executive), विशिष्ट वर्ग (Elite), अधिकारी तंत्र (officialdom), विभागीय सरकार (Departmental Govt.) तथा गैर-राजनीतिक कार्यपालिका (Non-Political executive) आदि अनेक नामों से पुकारा जाने लगा है। 18वीं शताब्दी में नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राँसीसी विचारक दि गार्ने (de Gournay) ने किया था। अनेक विद्वानों ने अपने-अपने तरीकों से नौकरशाही को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार से है।

- **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार**- "जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन है।"
- **मैक्स वेबर के अनुसार**- "नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है।"
- **कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार**- "नौकरशाही उन लोगों के पदसोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्चस्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।"

मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएँ *(Features of Bureaucracy According to Max Weber)*

मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- नौकरशाही के अंतर्गत संगठन के सभी कर्मचारियों के मध्य कार्यों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिससे प्रत्येक कर्मचारी को कार्य का कोई विशेष भाग बहुत प्रभावशाली तरीके से संपन्न करना होता है। इससे वह एक ही कार्य को बार-बार करते हुए उस कार्य में कुशल हो जाता है तथा परिणामस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी अपने-अपने कार्य विशेष में निपुणता हासिल कर लेता है और इस प्रकार वे संगठन की कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।
- नौकरशाही संगठन में काम करने के नियम तथा प्रक्रियाएँ कुल मिलाकर व्यापक एवं स्थिर होते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है तथा समस्त कार्यों को इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किया जाता है।

अध्याय
10

शासन प्रणाली
(Governance System)

शासन प्रणाली किसी देश की कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने एवं जनता को गुणात्मक सेवाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक होती है। राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकारों और शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन-प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जाते रहे हैं और आज भी देखे जा सकते हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था, एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था शामिल है।

10.1 लोकतंत्र : अर्थ, विशेषताएँ एवं प्रकार
(Democracy : Meaning Features and Types)

लोकतंत्र शब्द का अंग्रेज़ी पर्याय 'डेमोक्रेसी' (Democracy) है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'डेमोस' से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है- 'जनसाधारण' और इस शब्द में 'क्रेसी' शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ 'शासन' होता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है- 'जनता का शासन'। प्राचीन यूनानी चिंतक वलीयान ने लोकतंत्र की परिभाषा इसी आधार पर दी है कि "लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो तथा जनता के लिये हो।" अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, "लोकतंत्र जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा शासन है।"

लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। लोकतंत्र शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे संगठनों एवं समूहों हेतु भी संगत है।

लोकतंत्र का विचार उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक विचारों का इतिहास। प्राचीन यूनानी विचारकों ने लोकतंत्र को यूनानी नगर-राज्यों के संदर्भ में विश्लेषित किया है। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा 16वीं शताब्दी से शुरू हुई। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलनों ने अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया। राजनीतिक तथा सामाजिक चिंतन का आधार व्यक्ति को बनाया गया, साथ ही नए नैतिक मूल्यों, प्राकृतिक अधिकारों, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रीय विचारों का समर्थन किया जाने लगा। इन विचारों से अंततोगत्वा लोकतंत्र को बढ़ावा मिला।

18वीं शताब्दी में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) तथा फ्राँसीसी क्रांति (1789) को आधुनिक लोकतंत्र के विकास का प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण माना जाता है। जहाँ फ्राँसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा देकर लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया, वहीं 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी लोकतंत्र के विचार को लोकप्रिय बनाया।

20वीं शताब्दी में लोकतंत्र को कल्याणकारी राज्य के साथ जोड़ा गया तथा सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके इसे संपूर्ण जनता द्वारा शासन में बदला गया।

लोकतंत्र की विशेषताएँ *(Features of democracy)*

लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- उत्तरदायी तथा सीमित एवं संवैधानिक सरकार।
- जनता की सर्वोच्च इच्छा।
- जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार।
- वयस्क मताधिकार।
- निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव।
- विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति।

अध्याय
11

ज़िला प्रशासन
(District Administration)

ज़िला स्तर राज्य प्रशासन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्तर है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ज़िला प्राचीन काल से ही एक महत्त्वपूर्ण इकाई रहा है। यह इकाई जनसाधारण तथा राज्य सरकार के मध्य एक व्यावहारिक कड़ी के रूप में कार्यरत है। ज़िला प्रशासन स्थानीय नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्रबिंदु होने के साथ-साथ संघीय एवं राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का व्यावहारिक अभिकरण भी है। ज़िला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ज़िलाधीश होता है।

11.1 ज़िला प्रशासन का विकास *(Evolution of District Administration)*

ज़िला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में ज़िला 'डिस्ट्रिक्ट' के रूप में पहचाना जाने लगा। एक शब्द के रूप में 'डिस्ट्रिक्ट' से तात्पर्य किसी उद्देश्य विशेष के लिये किये गए प्रादेशिक विभाजन से है। स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत में राज्य प्रशासन की एक इकाई के रूप में ज़िला स्तर के महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा प्रत्येक राज्य में ज़िलों का गठन करके प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया गया। यद्यपि भारत के संविधान में 'ज़िला' शब्द केवल अनुच्छेद 233 में ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।

वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य के छः ज़िलों क्रमशः सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के भू-भाग दर्शित करते थे। जनवरी, 1973 में दुर्ग ज़िले का विभाजन कर एक नया ज़िला राजनांदगाँव बनाया गया था। मई 1998 में सरगुजा ज़िले से कोरिया, बिलासपुर से कोरबा और जांजपीर-चांपा, रायगढ़ से जशपुर, रायपुर से धमतरी और महासमुंद था बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा नए ज़िले बनाए गए। जुलाई, 1998 में राजनांदगाँव ज़िले से एक और नया ज़िला कवर्धा बना और इसमें बिलासपुर ज़िले का भी कुछ भाग सम्मिलित किया गया। इस तरह राज्य निर्माण के समय प्रदेश में 16 ज़िले थे। मार्च 2003 में राज्य शासन द्वारा तीन ज़िलों- कवर्धा, दंतेवाड़ा और कांकेर के नामों का परिवर्तन कर क्रमशः कबीरधाम, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और उत्तर बस्तर (कांकेर) किया गया।

अप्रैल 2007 में बस्तर ज़िले का विभाजन करके एक नया ज़िला नारायणपुर और दंतेवाड़ा ज़िले का विभाजन करके नया ज़िला बीजापुर का सृजन किया गया। ये दोनों ज़िले मई, 2007 को अस्तित्व में आए। इस प्रकार 2011 के अंत तक राज्य में कुल 18 ज़िले हो गए। 1 जनवरी, 2012 में राज्य में 9 नए ज़िलों का गठन किया गया। इस तरह वर्तमान में राज्य में ज़िलों की संख्या 27 हो गई है।

ज़िला प्रशासन का महत्त्व *(Importance of district administration)*

ज़िला प्रशासन राज्य की ऐसी इकाई है, जहाँ न केवल सरकारी नीतियों को ही क्रियान्वित किया जाता है, अपितु जिनकी नीति-निर्माताओं के चयन में भी निर्णायक भूमिका रहती है। भारत में ज़िला प्रशासन की भूमिका और महत्ता का आभास हमें उसके उद्देश्यों से ही हो जाता है, जो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं–

(1) सरकारी कानूनों और आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना।

(2) सरकार का भू-राजस्व एकत्र करना।

(3) ज़िले की जनता का अधिकाधिक कल्याण।

ज़िला प्रशासन के ये सभी उद्देश्य परस्पर संबंधित हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में ज़िला प्रशासन को निरंतर सजग और सक्रिय रहना पड़ता है। ज़िला प्रशासन नागरिकों तथा उनके सभी अधिकारों की रक्षा का प्रबंध करता है। सरकारी राजकोष के अधिकारी ज़िलाधिकारी के अधीन रहकर कार्य करते हैं। इस प्रकार वे भी ज़िला प्रशासन का भाग बन जाते हैं। ज़िले में राजस्व, आबकारी, कृषि, सिंचाई, उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

अध्याय
12

पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ
(Panchayati Raj and Municipalities)

पंचायती राज एवं नगरपालिका स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख आधार है। स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ तथा राज्य के बाद सत्ता के तीसरे स्तर के रूप में शामिल की गई है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत गांवों के लिये पंचायत तथा शहरों के लिये नगरपालिका के द्वारा आम-जन को स्थानीय मुद्दों पर अहम भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया है।

12.1 पंचायती राज *(Panchayati Raj)*

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे- पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा व्यापक स्तर के मुद्दों के लिये उसे अपने प्रतिनिधि चुनने तथा उनसे संवाद व सवाल-जवाब करने का हक हो जो उसकी ओर से कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। सामान्य राय यह बनती जा रही है कि स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर निर्णय की शक्ति उसी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिये और ऊपर के स्तरों पर वही काम किये जाने चाहियें जो नीचे के स्तरों पर न किये जा सकते हों। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' (Local Self Government) की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

ध्यातव्य है कि जो देश संघात्मक (Federal) राजव्यवस्था को अपनाते हैं, उनके संविधान में सत्ता के दो स्तर होते हैं- संघ तथा राज्य। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही व्यवस्था कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा" जिसमें निहित है कि शक्ति का वितरण संघ व राज्यों के बीच किया जाएगा। संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यत: राज्यों के हाथ में होती है और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत में भी संविधान लागू होने के समय (1950) से 1993 तक यही व्यवस्था थी किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास *(Evolution of Panchayati Raj)*

प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी परंपरा रही है, पर ब्रिटिशों के आगमन के बाद स्थिति बदलने लगी। परंपरागत पंचायतें अंग्रेज़ों के लिये अनुपयोगी थीं। 1773 के 'रेग्युलेटिंग एक्ट' के तहत गाँवों के लिये जो ज़मींदार नियुक्त किये गए थे, वे पंचायतों से स्वतंत्र थे और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। आगे चलकर, सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के गठन के साथ पंचायतों की भूमिका और कमज़ोर हो गई।

अध्याय
13

छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढाँचा
(Administrative Structure of Chhattisgarh)

किसी भी देश या राज्य अथवा संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तथा योजनाओं एवं परियोजनाओं के निर्माण में सहायता व सलाह देने और उसके सफल क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिये एक बेहतर प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढाँचे में संभाग, ज़िले, तहसीलें, विकासखंड आदि शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव की भूमिका की भी चर्चा की गई है जिससे प्रशासनिक ढाँचा से संबंधित प्रश्नों को हल किया जा सके।

13.1 प्रशासनिक ढ़ाँचा *(Administrative Framework)*

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। 1 नवंबर, 1956 से लेकर अपने अस्तित्व में आने तक यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1 नवंबर, 1956 के पहले यह सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का हिस्सा था। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छह ज़िलों क्रमशः सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, और बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के भू-भाग दर्ज हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढ़ाँचा के अंतर्गत संभाग, ज़िला, तहसील एवं उपतहसील, विकासखंड आदि शामिल है, जो इस प्रकार है-

संभाग	ज़िला	तहसील एवं उप तहसील	विकास खंड	नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत
रायपुर	05	25	24	03	09	22
बिलासपुर	05	40	33	03	12	31
बस्तर	07	33	32	01	08	14
दुर्ग	05	26	25	04	09	26
सरगुजा	05	34	32	02	06	18
योग	27	158	146	13	44	111

राज्य के सभी 27 ज़िलों के नाम इस प्रकार हैं- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, कांकेर, कोरबा, कोरिया, जांजगीर-चांपा रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम-कवर्धा, कोंडागाँव, गरियाबंद, जशपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, नारायणपुर, बलरामपुर, बलौदाबाज़ार, बस्तर, बालोद, बीजापुर, बेमेतरा, मुंगेली, सरगुजा, सुकमा और सूरजपुर।

संभाग और ज़िले *(Divison amd District)*

छत्तीसगढ़ राज्य 5 संभागों, 27 ज़िलों, 158 तहसीलों एवं उपतहसील और 146 विकासखंडों के ज़रिये प्रशासित है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तब यह भू-भाग छह ज़िलों सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर के जरिये प्रशासित था। जनवरी 1973 में दुर्ग ज़िले का विभाजन कर एक नया ज़िला राजनांदगाँव बनाया गया। मई 1998 में सरगुजा ज़िले में कोरिया, बिलासपुर से कोरबा एवं जांजगीर-चांपा, रायगढ़ से जशपुर, रायपुर से धमतरी और महासमुंद तथा बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा नए ज़िले बनाए गए। जुलाई 1998 में राजनांदगाँव ज़िले से एक और नया ज़िला कवर्धा बना एवं इसमें बिलासपुर ज़िले का भी कुछ भाग सम्मिलित किया गया। इस तरह राज्य में ज़िलों की कुल संख्या 16 हो गई थी।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय वर्ष 2000 में ज़िलों की यही संख्या थी। मार्च 2003 में राज्य शासन द्वारा तीन ज़िलों कवर्धा, दंतेवाड़ा और कांकेर के नामों का परिवर्तन कर कबीरधाम, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर किया गया। अप्रैल 2007 में बस्तर ज़िले का विभाजन करके ज़िला नारायणपुर और दंतेवाड़ा ज़िले का विभाजन करके बीजापुर का

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596